बिहार विधान सभा वादवृत्त

मंगलवार तिथि १२ सितम्बर १९५०

भारत के संविधान के प्रबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन रांची के सभा-वेश्म में मंगलवार तिथि १२ १९५० को ११ बजे पूर्वाह्न में. माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा, के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

GENERAL CHECKING OF PUBLIC VEHICLES.

2. Messrs. Ram Binod Singh, Md. Mobarak Karim, Badruddin Ahmad, Md. Tahir and Badiuzzaman Khan:

Will the Hon'ble Minister incharge of Transport Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that general checking of public vehicles was held in the district of Gaya on 28th August 1950, when the Officer incharge of the police station Aurangabad, on the plea, that their stage carriage permits did not bear the registration mark on these buses, detained some service of stage carriage permit buses such as BRB-1764 of Bihar National Transport Service and BRB-1456 for days causing serious dislocation of bus services and greatly stranded the travelling passengers and Government Postal Mail;

(*b*) whether the Motor Vehicles Act does not require registration mark of buses to be entered in service of stage

माननीय अध्यक्ष :

मेज पर तो पहले रखना चाहिये था। मैं इस प्रश्न को आज स्थगित करता हूं। आप statement को library मेज पर रख दें।

NON PAYMENT OF PRICE TO CANE-GROWERS BY THE SUGAULI SUGAR WORKS.

°131 Shri Harivans Sahay : Will the Hon'ble Minister for the Development Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Sugauli Sugar Works in Champaran has not paid the price of sugar-cane to the cane-growers except a very small amount and the cane-growers have suffered terribly on account of non-payment by the factory of the price of their cane ;

(b) whether it is a fact that the said Sugauli Sugar Works has promised to the cane-growers again and again to pay up the price and have invited hundreds of them from distant villages to Sugauli but has not paid the price of sugar-cane up till now ;

(c) what effective steps Government have taken to make factories pay the prices of the sugar-cane to the cane-growers up till now ;

(d) what steps Government have taken against the factories for this deliberate and continued breach of the provisions of Sugar Cane Act and rules made thereunder by the defaulting factories ;

(e) (i) what steps Government have taken to save the suffering cane-growers from the disastrous effects of non-payment of the price of sugar-cane ;

(ii) whether Government propose to pay the price to the cane-growers on the security of the stocks of sugar held by the respective sugar factories, particularly in view of the disastrous consequences of non-payment of cane price to cane-growers most of whom are small cane-growers, and if not, why ?

श्रीवीरचन्द्र पटेल :

(a) उत्तर स्वीकारात्मक है परन्तु यह सही नहीं है कि कम कीमत किसानों को दी जाती है।

(b) डायरेक्टरों में झगड़ा होने के कारण इस फैक्ट्री का इन्तजाम अच्छी तरह नहीं चलाया जा रहा था। बात यहां तक बढ़ गई कि court की तरफ से एक Receiver बहाल किया गया। ता० १५-४-५० तक इस मिल में crushing हुआ।

Factory के जिम्मे १९ लाख ६३ हजार रुपया किसानों का बाकी था। लेकिन जब S. D. O. ने धारा १४५ के मुताबिक receiver मोकर्रर किया तो अब सिर्फ ५३ हजार रुपया किसानों का बाकी रह गया। २४ लाख ४५ हजार का गन्ना खरीदा गया जिसमें सिर्फ ५३ हजार कीमत बाकी रह गई। अभी तक सरकार ने Essential supplies Act के मुताबिक किसी-किसी Factory का इन्तजाम अपने हाथ में ले लिया है। और चीनी जो तैयार होती है उसी की कीमत से किसानों का कर्ज अदा किया जाता है। Sugar Factories Control Act के मुताबिक भी जिन जिन Factories ने देरी की है उनके ऊपर notice दी गई है।

(ग) का जवाब दे दिया गया है। चूँकि अब तक यानी १५-८-५० तक ९८-३३ प्रतिशत Sugar Factories ने बाकी कीमत को अदा कर दिया,—यानी करीब करीब ९९ प्रतिशत pay कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट कोई खास Punitive action लेने की जरूरत नहीं समझती है। दो cases बगहा और गुरारू के जिम्मे कुछ रुपया बाकी था। लेकिन इन दोनों ने अपनी चीनी बैंक में pledge कर दिया। करीब-करीब 99 percent बाकी कीमत का factories ने cane price का payment कर दिया है इसलिए सरकार ऐसी परिस्थिति में कोई acttion लेने की जरूरत नहीं समझती है।

सरदार हरिहर सिंह :

क्या यह percentage payment का सब factories का है ?

श्री वीरचन्द्र पटेल :

बिहार के over-all payment का यह figure हैं।

श्री हरिवंश सहाय :

क्या यह बात सही है कि अभी भी १० करोड़ रुपये में से १४ लाख से ज्यादा mills के जिम्मे बाकी है ?

श्री वीरचन्द्र पटेल :

मैंने अभी बताया है कि ९८.३३ percent payment हो चुका है इसलिए माननीय मेम्बर का कहना सही हो सकता है।

श्री हरिवंश सहाय :

मुगौली ने कितना बाकी रक्खा था ?

श्री वीरचन्द्र पटेल :

मुगौली के बारे में १५ जुलाई तक का figure १६ लाख ५० हजार था लेकिन १५ अगस्त की figure सिर्फ ५२६३२ रुपया है।

श्री हरिवंश सहाय :

मुगौली ने कुल कितने रुपये दिये हैं।

श्री वीरचन्द्र पटेल :

मुगौली के जिम्मे ३४,४४६१७—१—६ पाई total cane price किसानों का बाकी था जिसमें १५ अगस्त १९५० तक ३३९१९८४—८ आना किसानों को payment हो चुका। अब किसानों का मिल के जिम्मे ५२६३२—९—६ पाई बाकी है।

श्री हरिवंश सहाय :

हमारा सवाल यह है कि season के शुरू से लेकर crushing जब खत्म हो गई उसके १५ दिनों के अन्दर जो रुपये मिल ने बाकी रक्खे थे उनमें से कितना pay किया ?

श्री वीरचन्द्र पटेल :

इस तरह के payment का हिसाब हमारे पास नहीं है। हमने आपको १५ जुलाई १९५० तक जो मिल के जिम्मे बाकी था उसका figure दिया है और १५ अगस्त १९५० को क्या बाकी रह गया उसका figure दिया है। किसी खास दिन का किसानों को क्या payment हुआ इसका information Government के पास नहीं है।

श्री हरिवंश सहाय :

हमने किसी खास दिन के payment का सवाल नहीं पूछा। हमारा सवाल यह है कि crushing जब खत्म हो गई तो १५ दिनों के अन्दर payment कर देना चाहिए था, अगर उस अवधि के अन्दर payment नहीं हुआ तो कितना रुपया मिल के जिम्मे बाकी रहा ?

श्री वीरचन्द्र पटेल :

Crushing १५-४-५० को खतम हुई। उसके पहले ही २८-३-५० को S. D. O. मोतिहारी ने अपने कब्जे में मिल को कर लिया इसलिए जो payment हुआ वह crushing के खतम होने के बाद हुआ। मिल के proprietors के जरिए paymemnt नहीं हुआ। चीनी बनती जाती थी और जबकि मिल S. D. O. के कब्जे में था और sale proceeds से कीमत दी जाती थी।

श्री हरिवंश सहाय :

क्या यह सही है कि S. D. O. ने इसलिए कब्जा किया कि proprietors का आपस में झगड़ा था और इस वजह से किसानों को रुपया नहीं दिया जाता था ? मिल नहीं बन्द था लेकिन किसानों को रुपया नहीं मिलता था ?

श्री वीरचन्द्र पटेल :

चूंकि proprietors का आपस में झगड़ा था और मिल के सम्बन्ध में हर चीज पर उस झगड़े का असर पड़ता था : इसलिए S. D. O. ने कब्जा करके मिल का इन्तजाम ठीक किया और किसानों को बाकी कीमत का रुपया दिया।

श्री हरिवंश सहाय :

१५-२० लाख रुपया जो बाकी रह गया उस पर सूद वसूल करके किसानों को दिया गया ?

श्री वीरचन्द्र पटेल :

Arrears पर सूद देने की बात नहीं थी।

श्री हरिवंश सहाय :

उनको सूद लेने का legal right है या नहीं ?

श्री वीरचन्द्र पटेल :

Legal right है।

श्री हरिवंश सहाय :

इतने दिनों तक रुपया नहीं मिलने की वजह से जो किसानों को नुकसानी हुई उसके लिये गवर्नमेंट ने कोई इन्तजाम किया है या कोई इन्तजाम करने को सोचती है ?

श्री वीरचन्द्र पटेल :

गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इन्तजाम किया है (हास) कि एक मिल के जिम्मे १७ लाख रुपये में से सिर्फ ५० हजार रुपये बाकी रह गये। हम समझते हैं कि इस इन्तजाम को खराब समझा जाता है तो इससे अच्छा इन्तजाम क्या समझा जा सकता है ?

श्री हरिवंश सहाय :

क्या सरकार को मालूम है या नहीं कि हजारों किसान की खेती रुपये न मिलने की वजह से बिक गयी ?

माननीय अध्यक्ष :

आपके प्रश्न का मतलब यह है कि उनलोगों की जो नुकसानी हुई है उसकी पूर्त्ति सूद के साथ होगी या नहीं ?

श्री वीरचन्द्र पटेल :

ऐसी कोई बात सरकार के सामने नहीं है।

बिहार विधान-परिषद से प्राप्त संदेश।

MESSAGE RECIEVED FROM BIHAR LEGISLATIVE COUNCIL.

Secretary to the Bihar Legislative Assembly : Sir, The Bihar Local Self Government (Amendment) Bill, 1949, which was passed by the Bihar Legislative Assembly at its meeting held on the 23rd May, 1950 was passed by the Bihar Legislative Council at its meeting held yesterday with an amendment The Legislative Council request the concurrence of the Assembly in the said amendment.

(The amendment is laid on the table)

Shri Shanker Nath : Sir, With your permission I want to say something.